

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/आर-2347/2013/अलेसे-III/ 6196

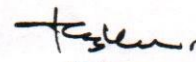
दिनांक :- 05-11-2020

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायति राज विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 17 (ई)पंरावि/प्रशा-2/संस्था/क.ले./2020/2183 दिनांक 22.10.2020 के अनुसार श्री राकेश कुमार रैगर, क0लेखाकार के विरुद्ध एफ.आई.आर.संख्या 416/20 थाना चाकसू, जयपुर में धारा 147, 148, 149, 332, 335, 336, 307, 125, 131 अपराध दर्ज होने पर दिनांक 10.10.2020 से 14.10.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा में रखा गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री राकेश कुमार रैगर को इनकी गिरफ्तारी दिनांक 10.10.2020 से सेवा से निलम्बित किया जाता है। श्री राकेश कुमार रैगर को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम-53 के अनुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

श्री राकेश कुमार रैगर, क0लेखाकार का राज्य सेवा से निलम्बन अवधि में मुख्यालय कोषाधिकारी, ग्रामीण, जयपुर निर्धारित किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री राकेश कुमार रैगर नियमित रूप से मुख्यालय पर अपनी उपस्थिति देंगे।


निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/आर-2347/2013/अलेसे-III/ 6196

दिनांक :- 05-11-2020

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त शा0सचिव(प्रथम)(प्रशा-2), ग्रामीण विकास एवं पंचायति विभाग, जयपुर।
2. कार्यालय, कोषाधिकारी, ग्रामीण, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. एसीपी उपनिदेशक को वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
5. पदस्थापन सीट/निजी/रक्षित पत्रावली।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)